

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
प्रेस विज्ञप्ति

योजना एवं विकास विभाग के कार्यालय आदेश-2720/यो०वि०, पटना दिनांक-19.05.2025 एवं ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय आदेश-271 दिनांक-20.05.2025 के माध्यम से पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त निम्नांकित कनीय अभियंता (असैनिक) के अभ्यर्थित्व की जाँच एवं शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण-पत्रों का सत्यापन (Verification of Certificate) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के सभागार कक्ष में निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि/गृह जिला	मूल विभाग का नाम	तिथि एवं समय
1	2	3	4	5
1	श्री सुजीत कुमार	02.03.1986 / गया जी	योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	दिनांक-15.07.2025 (मंगलवार) 10:00 बजे पूर्वाह्न से अपराह्न 01:00 बजे तक
2	श्री श्रीकान्त कुमार	15.01.1986 / गया जी		
3	श्री रितेश रंजन	10.02.1988 / नालंदा		
4	श्री प्रकाश कुमार पासवान	10.02.1988 / औरंगाबाद		
5	श्री ऋतुरंजन भारती	01.12.1984 / मुंगेर		
6	श्री राम शंकर कुमार	21.04.1980 / मुंगेर		
7	श्री सोनू कुमार पाल	10.09.1997 / रोहतास		
8	श्री अभिषेक कुमार	30.09.1999 / बेगूसराय		
9	श्री शिव शंकर कुमार	10.01.1998 / बेगूसराय		
10	श्री नीतीश कुमार	15.06.1999 / जमुई		
11	श्री श्रीकांत कुमार	14.10.1995 / मधुबनी		
12	श्री प्रेमचंद शर्मा	15.10.1998 / अररिया		
13	श्री आशुतोष कुमार	21.02.1998 / मुजफ्फरपुर		
14	श्री सौरभ कुमार सिन्हा	06.05.1997 / गया जी		

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि/गृह जिला	मूल विभाग का नाम	तिथि एवं समय
1	2	3	4	5
15	श्री प्रशांत कुमार	26.01.2000 / सारण	योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	दिनांक—15.07.2025 (मंगलवार) अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
16	श्री चन्दन कुमार चौधरी	04.06.1999 / गया जी		
17	श्री मुकुल कुमार सोनू	18.06.1996 / सीतामढ़ी		
18	श्रीमती नीतू कुमारी	10.03.1997 / सहरसा		
19	श्री नन्दन सिंह	01.01.1973 / मुंगेर	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	
20	श्री राजकुमार राणा	05.09.1977 / मधेपुरा		
21	श्री विनय कुमार	13.02.1987 / रोहतास		
22	श्री अंजनी कुमार	02.01.1988 / नवादा		
23	श्री राकेश कुमार रजक	20.12.1989 / पटना		
24	श्री दीपक कुमार साह	09.10.1990 / भागलपुर		
25	श्री नरेश दास	05.01.1983 / लखीसराय		
26	श्री राकेश कुमार	03.04.1994 / नवादा		
27	श्री ओंकार पासवान	12.07.1973 / नवादा		
28	श्री रितेश कुमार	10.02.1989 / मुंगेर		

उपर्युक्त अभ्यर्थियों को अभ्यर्थित्व की जांच एवं प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उल्लेखित कार्यक्रमानुसार निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी दो-दो स्व-अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र की छायाप्रति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है :-

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
2. इंटरमीडिएट एवं स्नातक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
3. अन्य तकनीकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
4. सरकारी सेवा/नियोजन वाले अभ्यर्थी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (मूल में)।
5. आरक्षण दावा से संबंधित जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
6. बिहार सरकार के नौकरियों के निमित्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मूल प्रति (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए) (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।

8. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाईट पर जो अपलोड किया गया है)।
9. आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाईट पर जो अपलोड किया गया है)।
10. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (दो प्रति मूल में)। उक्त विहित प्रपत्र पंचायती राज विभाग के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/biharprd> पर उपलब्ध है।
11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत इस आशय का शपथ पत्र की सभी प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरुद्ध थाना अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है (मूल में)।
12. दहेज लेन-देन निषेध घोषणा पत्र (मूल में)।
13. असेैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मूल में)।
14. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मूल में (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाईट पर जो अपलोड किया गया है)।
15. पासपोर्ट साईज का चार फोटोग्राफ जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा किया गया था।
16. मूल आधार कार्ड एवं इससे लिंकड मोबाईल नम्बर।
17. प्रमाण पत्रों के जाँच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

नोट :- निर्धारित तिथि को **Document Verification** में अनुपस्थित रहने वाले कनीय अभियंता का योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।


(शम्स जावेद अंसारी)
संयुक्त सचिव

निम्न अभिलेख (स्व अभिप्रमाणित) का दो सेट में लाना है :-

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
2. इंटरमीडिएट एवं स्नातक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
3. अन्य तकनीकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
4. सरकारी सेवा/नियोजन वाले अभ्यर्थी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (मूल में जमा लेना है)।
5. आरक्षण दावा से संबंधित जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
6. बिहार सरकार के नौकरियों के निमित्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मूल प्रति (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए) (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
8. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
9. आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
10. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (दो प्रति मूल में जमा लेना है)। उक्त विहित प्रपत्र पंचायती राज विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/biharprd> पर उपलब्ध है।
11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत इस आशय का शपथ पत्र की सभी प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरुद्ध थाना अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है (मूल में जमा लेना है)।
12. दहेज लेन-देन निषेध घोषणा पत्र (मूल में जमा लेना है)।
13. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मूल में जमा लेना है)।
14. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मूल में (तकनीकी सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है)।
15. पासपोर्ट साईज का चार फोटोग्राफ जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा किया गया था।
16. मूल आधार कार्ड एवं इससे लिंकड मोबाईल नम्बर।
17. प्रमाण पत्रों के जाँच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

नोट :- दो सेट में से एक सेट में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र की डाउनलोड की गयी स्व अभिप्रमाणित प्रति।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate/Executive Magistrate

Sri-----
S/O.D/O-----Aged-----
by caste-----by faith-----by
Nationality Indian by occupation-----resident of
village-----Town-----P.O-----
-----P.S-----District-----

-----do here by solemnly affirm and declare as follows:-

That I am a permanent resident of aforesaid village/Town which falls under
P.O-----P.S-----District-----

- (i) That there is no any adverse remarks against me in any Police Station.
- (ii) That there is no criminal case against me in any Police Station or in any of the honourable Court.
- (iii) That all the document i.e caste certificate, residential certificate, educational qualification certificates/marks sheets and others certificate filed by me in connections with the recruitment under Bihar Technical Service Commission are true to the best of my belief and knowledge.

If any wrong information arises in connection with my submitted certificates.
I will be liable to be punished under Law.

The Statements made above are true to the best of my knowledge. belief &
information and I sign this-----day-----
-----at-----

Deponent Signature

Solemnly affirm and declared before me to be true by the deponent who is
identified by the Advocate-----

Signature of Magistrate-----

सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की एक
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति

फोटो यहाँ चिपकाएँ

चेतावनी

- 1 इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना एवं वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
- 2 यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किये जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाय, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।
- 3 यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया गया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।

1.	उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम(यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो विनिर्दिष्ट करें)	कुलनाम— नाम—
2.	वर्तमान पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नंबर, गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर	
3.	(क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नंबर, गली/स्ट्रीट/सड़क व शहर और जिला मुख्यालय का नाम। (ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश(पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने की तारीख का उल्लेख करें।	
4.	गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें(आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।	

से	तक	आवास का पूरा पता(अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०/गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कॉलम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5.

नाम	राष्ट्रीय(जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय(यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता(दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थाई पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता(उपनामों सहित यदि कोई हो)					
(ख) माँ					
(ग) पत्नी/पति					
(घ) भाई					
(ड.) बहन/बहनें					

11. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें।

पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की

12. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें।

अवधि से तक	पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण

(ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी।

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा(अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी ? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है ? क्या नोटिस दिये जाने अथवा सेवा समाप्त किये जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया।

13(i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ?

हाँ/नहीं

(ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है ?

हाँ/नहीं

(ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है ?

हाँ/नहीं

(घ) क्या कभी आपको नजरबंद किया गया है ?

हाँ/नहीं

(ङ) क्या किसी विधि-न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है ?

हाँ/नहीं

(च) क्या कभी किसी विधि-न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया गया है ?

हाँ/नहीं

(छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है ?

हाँ/नहीं

(ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ने किसी परीक्षा/चयन से आपको

बहिष्कृत/अयोग्य घोषित किया है ?

हाँ/नहीं

(झ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है ?

हाँ/नहीं

(ञ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा

अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ?

हाँ/नहीं

(ट) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया/ बहिष्कृत किया गया/निकाला गया ?

हाँ/नहीं

(ii) यदि प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमे/गिरफ्तारी/ हिरासत/अर्थदंड/दंडादेश/सजा आदि के बारे में और/अथवा किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय/ शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमे की प्रकृति के पूर्ण ब्यौरे दें।

(iii) नोट:- (i) कृपया इस प्रपत्र के प्रारंभ में लिखी चेतावनी को भी देखें।

(ii) प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर "हाँ" अथवा "नहीं" जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाय।

14. अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हों।

1

2

15. मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी/पति है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना/मानी जाऊँ।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

तारीख.....

स्थान.....

स्व-घोषणा पत्र

मैं पिता.....

ग्राम—.....पो०—.....थाना—.....जिला—.....

राज्य—..... का स्थायी निवासी हूँ।

1. मैं अविवाहित/विवाहित हूँ। मैं स्वयं की शादी के निमित्त दहेज लेन-देन नहीं करूँगा/करूँगी।
2. मैं परिवार के किसी अन्य सदस्यों की शादी के निमित्त दहेज लेन-देन नहीं करूँगा/करूँगी।
3. मैं दहेज के लिए किसी अन्य को दुष्प्रेरित नहीं करूँगा/करूँगी।

नाम एवं पदनाम.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक—.....